

माल यातायात परिचालन

2012-13 के दौरान संभाला गया राजस्व उपार्जक माल यातायात 1008.09 मिलियन टन था। वर्ष के दौरान शुद्ध टन किमी 691.66 बिलियन था। गैर-राजस्व यातायात सहित कुल लदान और माल यातायात आउटपुट क्रमशः 1014.15 मिलियन टन और 692.64 बिलियन शुद्ध टन किमी था। राजस्व उपार्जन यातायात का पण्यवार लदान निम्नानुसार था:

	ढोया गया टन* (मिलियन में)		पिछले वर्ष की तुलना में पूर्ण विचलन	कुल प्रतिशत
	2011-12	2012-13		
कोयला				
(i) इस्पात संयंत्रों के लिए	46.69	48.04	1.35	4.77
(ii) वाशरियों के लिए	1.62	1.31	-0.31	0.13
(iii) थर्मल पावर हाउसों के लिए	300.15	315.43	15.28	31.29
(iv) अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के लिए	107.35	131.64	24.29	13.06
जोड़	455.81	496.42	40.61	49.24
लौह अयस्क को छोड़कर इस्पात संयंत्रों के कच्चा माल	14.51	15.60	1.09	1.55
ढलवां लोहा और निर्मित इस्पात				
(i) इस्पात संयंत्रों से	25.68	25.95	0.27	2.57
(ii) अन्य बिन्दुओं से	9.47	9.36	-0.11	0.93
जोड़	35.15	35.31	0.16	3.50
लौह अयस्क				
(i) निर्यात के लिए	9.67	5.46	-4.21	0.54
(ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	54.74	61.59	6.85	6.11
(iii) अन्य स्वदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए	40.29	44.36	4.07	4.40
जोड़	104.70	111.41	6.7	11.05
सीमेंट	107.66	105.87	-1.79	10.50
खाद्यान्न	46.40	49.03	2.63	4.86
उर्वरक	52.70	46.21	-6.49	4.58
खनिज तेल (पीओएल)	39.77	40.61	0.84	4.03
कंटेनर सेवाएं				
(i) घरेलू कंटेनर	9.48	9.35	-0.13	0.93
(ii) एक्जिम कंटेनर	28.54	31.69	3.16	3.14
जोड़	38.02	41.04	3.03	4.07
शेष अन्य माल	74.33	66.59	-7.74	6.61
जोड़	969.05	1008.09	39.04	100.00
*कोंकण रेलवे पर लदान को छोड़कर				

निम्न तालिकाएं विगत वर्षों की तुलना में माल यातायात की वृद्धि को दर्शाती हैं:

I. राजस्व उपार्जक माल यातायात (केआरसीएल को छोड़कर)

वर्ष	टन (मिलियन)	सूचकांक (1950-51 =100)	शुद्ध टन किमी (मिलियन)	सूचकांक (1950-51 =100)	गमन दूरी (किमी)	सूचकांक (1950-51 =100)
1950-91	73.2	100.0	37.565	100.0	513	100.0
1960-61	119.8	163.7	72,333	192.6	603	117.6
1970-71	167.9	229.4	110,696	294.7	659	128.5
1980-81	195.9	267.6	147,652	393.1	754	147.0
1990-91	318.40	435.0	235,785	627.7	741	144.4
2000-01	473.50	646.9	312,371	831.5	660	128.7
2009-10	887.79	1,212.8	600,548	1,598.7	676	131.8
2010-11	921.73	1,259.2	625,723	1,665.7	679	132.4
2011-12	969.05	1,323.8	667,607	1,777.2	689	134.3
2012-13	1,008.09	1,377.2	6,91,658	1,841.2	686	133.7

II. पिछले चार वर्षों में थोक पण्यों का संचलन

क्र.सं.	पण्य समूह	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		मिलियन टन	प्रतिशत	मिलियन टन	प्रतिशत	मिलियन टन	प्रतिशत	मिलियन टन	प्रतिशत
1.	कोयला	396.15	44.62	420.37	45.61	455.81	47.04	496.42	49.24
2.	खाद्यान्न	38.69	4.36	43.45	4.71	46.40	4.79	49.03	4.86
3.	लौह एवं इस्पात	31.85	3.59	32.82	3.56	35.15	3.63	35.31	3.50
4.	लौह अयस्क	132.74	14.95	118.46	12.85	104.70	10.80	111.4	11.05
5.	सीमेंट	93.15	10.49	99.08	10.75	107.66	11.11	105.87	10.50
6.	पीओएल (खनिज तेल)	38.88	4.38	39.29	4.26	39.77	4.10	40.61	4.03
7.	उर्वरक (रासायनिक खाद)	43.68	4.92	48.22	5.23	52.69	5.44	46.21	4.58
8.	चूना पत्थर और डोलमाइट	14.77	1.66	16.37	1.78	17.66	1.82	19.64	1.95
9.	संगमरमर से इतर पत्थर (जिप्सम सहित)	11.44	1.29	11.66	1.27	12.96	1.34	11.77	1.17
10.	नमक	4.76	0.54	4.64	0.50	5.14	0.53	4.77	0.47
11.	चीनी	3.97	0.45	3.76	0.41	4.56	0.47	2.95	0.29
	जोड़	810.08	91.25	838.12	90.93	882.50	91.07	923.98	91.66
12.	उपरोक्त के अलावा अन्य पण्य	77.71	8.75	83.61	9.07	86.55	8.93	84.10	8.34
	कुल जोड़	887.79	100.00	921.73	100.00	969.05	100.00	1,008.09	100.00

III. माल यातायात गाड़ी किमी और माल डिब्बा किलोमीटर

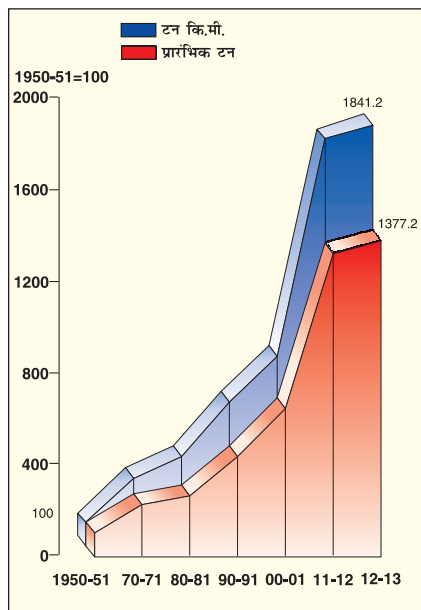
वर्ष	माल यातायात गाड़ी किमी		माल डिब्बा किलोमीटर @ (चौपहिया के हिसाब से)	
	जोड़ (मिलियन)	प्रतिदिन चालू रेलपथ किलोमीटर	जोड़ (मिलियन)	कुल से लादे गए माल का प्रतिशत
1950-51	112	5.2	4,370	70.7
1960-61	161	6.9	7,507	70.5
1970-71	202	7.7	10,999	69.7
1980-81	199	7.2	12,165	69.5
1990-91	245	8.5	19,230	65.5
2000-01	261	8.7	27,654	60.9
2009-10	356	11.2	17,063	66.4
2010-11	368	11.6	17,749	66.5
2011-12	391	11.9	19,140*	66.1
2012-13	401	12.3	19,855	65.4

@ 2009-10 से आंकड़े 8 पहियों के हिसाब से *संशोधित

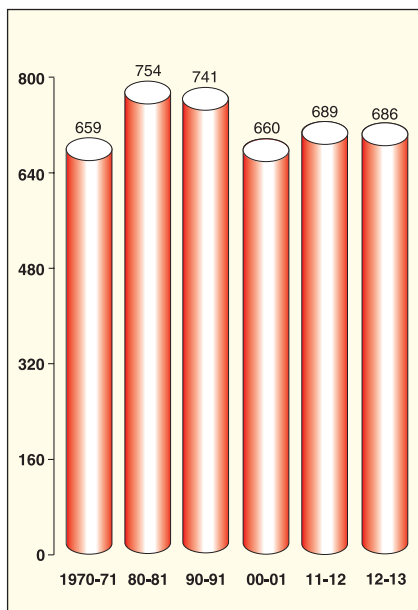
IV. 2012-13 में थोक पण्यों से प्रारंभिक टन, शुद्ध टन किमी और आमदनी

क्र.सं. पण्य समूह	प्रारंभिक टन		शुद्ध टन किलोमीटर		आमदनी	
	मिलियन में	कुल से प्रतिशत	मिलियन में	कुल से प्रतिशत	करोड़ ₹ में	कुल से प्रतिशत
1. कोयला	496.42	49.25	3,03,353	43.86	35,894.43	43.00
2. खाद्यान्न	49.03	4.86	71,335	10.31	6,985.24	8.37
3. लौह एवं इस्पात	35.31	3.50	34,055	4.92	4,845.84	5.80
4. लौह अयस्क	111.41	11.05	38,081	5.51	7,444.14	8.92
5. सीमेंट	105.87	10.50	62,683	9.06	8,001.18	9.58
6. पीओएल (खनिज तेल)	40.61	4.03	28,485	4.12	4,717.86	5.65
7. उर्वरक (रासायनिक खाद)	46.21	4.59	39,044	5.64	4,252.50	5.10
8. चूना पत्थर और डोलोमाइट	19.64	1.95	12,364	1.79	1,681.16	2.01
9. संगमरमर से इतर पत्थर (जिप्सम सहित)	11.77	1.17	6,459	0.93	882.76	1.06
10. नमक	4.77	0.47	6,882	1.00	615.88	0.74
11. चीनी	2.95	0.29	4,687	0.68	450.63	0.54
जोड़	923.99	91.66	6,07,428	87.82	75,771.59	90.77
12. उपरोक्त के अलावा अन्य पण्य	84.10	8.34	84,230	12.18	7,707.21	9.23
कुल जोड़	1,008.09	100.00	6,91,658	100.00	83,478.83	100.00

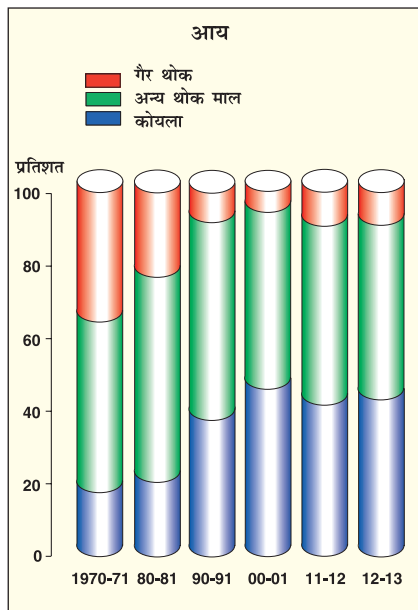
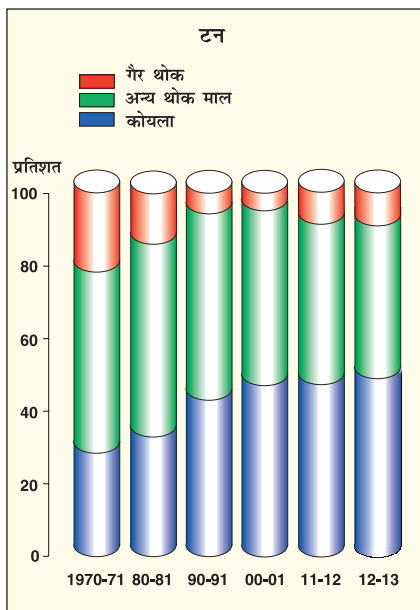
माल यातायात में वृद्धि का सूचकांक (राजस्व यातायात)



माल यातायात की औसत गमन दूरी (कि.मी.) (राजस्व यातायात)



माल यातायात में थोक वस्तुओं का भाग



V. पिछले चार वर्षों के दौरान माल यातायात परिचालन के कुछ चुने हुए कुशलता सूचकांक

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
शुद्ध टन किलोमीटर प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन@	बला	9,222	9,247	9,261	9,267	
	मीला	624	663	632	554	
माल डिब्बा किलोमीटर प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन@	बला	256	262	266*	265	
	मीला	30	32	33	29	
शुद्ध टन किलोमीटर प्रति इंजन घंटा	डीजल	बला	16,465	16,420	15,889	16,199
	मीला	2,330	2,421	2,161*	2,390	
	विद्युत	बला	24,672	24,436	24,049*	24,133
लाइन पर शुद्ध टन किलोमीटर प्रति इंजन दिन	डीजल	बला	285,008	301,626	300,781*	303,200
	मीला	26,469	30,552	25,012	240,88	
	विद्युत	बला	443,386	450,282	429,193	449,110
@ 2009-10 से आंकड़े 8 पहियों के हिसाब से *संशोधित						

@ 2009-10 से आंकड़े 8 पहियों के हिसाब से *संशोधित



तालचौर, पूर्व तट रेलवे पर कोयला लदान स्थल

VI. 2012-13 में 30 चयनित पण्यों के टनभार, आमदनी और शुद्ध टन किमी का हिस्सा (कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड को छोड़कर)

क्र.सं.	पण्य समूह	प्रारंभिक टन		आमदनी		शुद्ध टन किमी	
		हजार में	कुल से प्रतिशत	करोड़ ₹ में	कुल से प्रतिशत	मिलियन में	कुल से प्रतिशत
1.	कुल कोयला	496420	49.24	35894.43	43.00	303353	43.86
2.	लौह अयस्क	111400	11.05	7444.14	8.92	38081	5.51
3.	सीमेंट	105869	10.50	8001.18	9.58	62683	9.06
4.	खाद्यान्न	49030	4.86	6985.24	8.37	71335	10.31
5.	रासायनिक खाद	46209	4.58	4252.50	5.09	39044	5.64
6.	खनिज तेल	40607	4.03	4717.86	5.65	28484	4.12
7.	लौह एवं इस्पात	35314	3.50	4845.84	5.80	34055	4.92
8.	कुल एक्विजि कंटेनर	31697	3.14	2975.95	3.56	36205	5.23
9.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट	19641	1.95	1681.16	2.01	12364	1.79
10.	कुल घरेलू कंटेनर	9348	0.93	1029.42	1.23	13766	1.99
11.	संगमरमर और जिप्सम से इतर पत्थर	7847	0.78	405.36	0.49	2571	0.37
12.	मैंगनीज और लौह से इतर अयस्क	6383	0.63	392.04	0.47	2587	0.37
13.	नमक	4771	0.47	615.88	0.74	6882	0.99
14.	संगमरमर	4656	0.46	299.77	0.36	2023	0.29
15.	खली ऑयल केक	4164	0.41	509.79	0.61	4979	0.72
16.	साधारण सेवा माल डिब्बों में ढोया गया आरएमसी	3954	0.39	136.26	0.16	768	0.11
17.	जिप्सम	3917	0.39	477.37	0.57	3888	0.56
18.	गैर-लौह धातु	3395	0.34	267.06	0.32	1626	0.24
19.	चीनी	2950	0.29	450.63	0.54	4687	0.68
20.	विनिर्मित जूट	2814	0.28	286.42	0.34	2368	0.34
21.	एलएसी रिफाईंड	1738	0.17	90.66	0.11	1236	0.18
22.	ताजे फल एवं ताजी सब्जियां	1738	0.17	184.80	0.22	3675	0.53
23.	मैंगनीज अयस्क	1645	0.16	124.39	0.15	854	0.12
24.	खाद्य तेल	1432	0.14	148.59	0.18	1712	0.25
25.	कृत्रिम रेशम और रेशम का सामान	1292	0.13	243.11	0.29	1507	0.22
26.	बांस	802	0.08	38.70	0.05	682	0.10
27.	खली केक से इतर चारा	450	0.04	34.74	0.04	728	0.11
28.	सोडा एश	428	0.04	81.48	0.10	696	0.10
29.	एल्कोहल	406	0.04	13.48	0.02	91	0.01
30.	ऑयल सीड्स	380	0.04	107.69	0.13	1097	0.16

मालभाड़ा विपणन:

निजी मालभाड़ा टर्मिनल (पीएफटी):

अंतिम उपयोगकर्ताओं को भंडारण की सुविधाओं से युक्त कुशल और किफायती लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी निवेश के साथ मालभाड़ा टर्मिनलों के नेटवर्क के तेजी से विकास को शुरू करने के लिए निजी मालभाड़ा टर्मिनल (पीएफटी) नाम से एक नई योजना शुरू की गयी है। 31.05.2010 को नीति जारी की गई थी और संशोधित नीति 23.04.2012 को जारी की गई है। पीएफटी निजी भूमि पर निजी पार्टियों द्वारा विकसित की गई 'हरित क्षेत्र' सुविधाओं के रूप में हो सकती है या 'भूरा क्षेत्र' सुविधाओं के रूप में अर्थात निजी भूमि पर मौजूदा निजी साइडिंग/कंटेनर टर्मिनल जिन्हें योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निजी मालभाड़ा टर्मिनलों में बदला जा सकता है। इस योजना से निजी निवेशकों द्वारा टर्मिनलों पर संभलाई किए जा रहे यातायात में सहायता मिलेगी और इसके द्वारा भारतीय रेल के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी होगी।

अभी तक विभिन्न स्थानों पर निजी मालभाड़ा टर्मिनलों (पीएफटी) के विकास के लिए 43 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 38 प्रस्तावों को क्षेत्रीय रेलों द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय रेलों के पास विचाराधीन हैं।

उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस):

एंड यूजर्स (अर्थात उत्पादकों, विनिर्माताओं तथा माल के उपभोक्ताओं) को विशेष प्रयोजन माल डिब्बों (एसपीडब्ल्यू) तथा उच्च क्षमता वाले माल डिब्बों (एचसीडब्ल्यू) में निवेश करने की अनुमति प्रदान करने के लिए उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना के संबंध में 15.04.2008 को नीति जारी की गई थी।

योजना को और अधिक उदारीकृत तथा ग्राहकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा की गयी तथा संशोधित उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना पर नीति विषयक मार्ग-निर्देश 02.01.2012 को जारी किए गए। इस योजना के तहत, निवेशक द्वारा खरीद किए गए प्रत्येक रेल भारतीय रेल द्वारा यथा अनुमोदित विनिर्दिष्ट मार्गों अथवा क्लोज सर्किटों पर लदान और उतराई से संबंधित होगा। माल डिब्बा पट्टाधारी कंपनियां इस योजना के अन्तर्गत माल डिब्बों के एंड यूजर्स को पट्टे पर देने के लिए माल डिब्बों की खरीद भी कर सकती

है। अनुमोदित क्लोज सर्किटों में एसपीडब्ल्यू परिचालन के प्रत्येक लदान पर 20 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की माल भाड़ा रियायत दी जाएगी। एचसीडब्ल्यू के मामले में प्रत्येक लदान पर 20 वर्षों के लिए 12 % की मालभाड़ा रियायत और पे-भार के प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त मालभाड़ा रियायत दी जाएगी।

रेल मंत्रालय के अनुसार अभी तक 12 फर्मों द्वारा 54 रैकों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारतीय रेल के भिन्न-भिन्न सर्किटों पर 16 रैक पहले ही चल रहे हैं:

वैगन लीजिंग स्कीम (डब्ल्यूएलएस):

भारतीय रेलों पर रेल माल डिब्बों को पट्टे पर देने की अवधारणा शुरू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उच्च क्षमता के माल डिब्बों, विशेष प्रयोजन माल डिब्बों तथा कंटेनर संचलन के लिए माल डिब्बे के लिए निजी क्षेत्र से पीपीपी मार्गों के जरिए रैकों की शुरूआत करना है। वैगन लीजिंग स्कीम माल डिब्बों को ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटरों, स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटरों, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों तथा उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना के तहत पट्टे पर दे सकती है। नीति 15.04.2008 को जारी की गई है। अभी तक इस नीति के अंतर्गत दो कम्पनियों को वैगन लीजिंग कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम (एएफटीओ):

विशेष प्रयोजन वाले माल डिब्बों की खरीद और परिचालन के लिए निजी भागीदारों को आमन्त्रित करके ऑटोमोबाइल अर्थात दो पहियों/तिपहियों, कारों और ट्रेक्टरों इत्यादि के परिवहन में भारतीय रेलवे के बाजारी हिस्से में बढ़ोतरी करने के लिए 19.07.2010 को ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की गई है। योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए 22.02.2013 को संशोधित योजना जारी की गई।

2 फर्मों से प्रस्ताव को प्राप्त किया गया है जिनमें से एक को अनुमोदन दे दिया गया है। अ.अ.मा.सं. द्वारा ऑटोमोबाइल वैगनों के नए प्रकार का डिजाइन विकसित किया गया है। इस माल डिब्बों के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और अनुमोदित एएफटीओ ने रैकों के निर्माण के लिए आदेश दे दिए हैं।

स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम (एसएफटीओ):

उर्वरक, सीरा, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा, रसायन, पेट्रो रसायनों, एल्यूमीना, बल्क सीमेंट तथा फ्लाई एश आदि जैसे पण्यों जहां रेकों का गुणांक परम्परागत रूप से बहुत कम है, में रेल का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से उन पण्यों के परिवहन के लिए अपेक्षित विशेष प्रयोजन माल डिब्बों में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए 31.05.2010 को एसएफटीओ नामक नई स्कीम जारी की गई थी। योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए 24.06.2013 को एक संशोधित योजना जारी की गई हैं।

किसान विजन परियोजना:

पीपीपी मोड के जरिए शीत भंडारण तथा तापमान नियंत्रित नश्य पदार्थों के लिए कार्गो केन्द्र स्थापित करने को सरल बनाने के लिए संभार तंत्र आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर), सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लि. (सीडब्ल्यूसी) को नश्य पदार्थों के लिए पायलट परियोजना के तहत भारतीय रेलों पर 6 स्थानों पर तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधाओं वाले कार्गो केन्द्रों का विकास करने के लिए कहा गया है। पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति विषयक मार्गनिर्देश 14.01.2010 को जारी किए गए थे।

दावे:

भारतीय रेल ने 2011-12 में भुगतान किए गए ₹ 5.74 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2012-13 में दावा क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 26.08 करोड़ का भुगतान किया। पिछले पाँच वर्षों में किए गए दावों के निपटान का रुख निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त दावों की संख्या	भुगतान किए दावों की संख्या	भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की सकल राशि (₹ करोड़ में)
2008-09	25,775	6,581	6.40
2009-10	20,800	5,384	13.99
2010-11	21,402	4,406	9.65
2011-12	23,587	4,219	5.74
2012-13	18,715	3,303	26.08